

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठाधीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोरवाणी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -243/2016 (आवंटन निरस्तकरण)

GCMS No. 2016/00335

सरकार जर्मे तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

--प्रार्थी,

यनाम

बापूलाल आत्मज देवीलाल जाति चमार निवासी नूरपुर तहसील
रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

--अप्रार्थी,



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ
भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के
अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत ।

उपरिथत-

1. परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- 17 /02/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम नूरपुरा के आराजी खसरा नम्बर 603/42 रकबा 0.57 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया, नोटिस खुले मकान पर चरपांदगी से वाद तागिल प्राप्त । किन्तु अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपरिथत रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार को सुना गया ।
3. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम नूरपुरा तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 603/42 रकबा 0.57 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपरिथत नहीं होने से यह स्पष्ट जाहिर है कि आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं किया जा रहा है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र रवीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।
4. हमने परोकार सरकार की बहस पर गनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम नूरपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा 603/42 रकबा 0.57 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपरिथत नहीं होने से यह स्पष्ट जाहिर है कि आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं किया जा रहा है । आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं किया जा रहा है । इस प्रकार आवंटी


जिला कलेक्टर
कोटा

अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम नूरपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 603/42 रकबा 0.57 हे० भूमि अप्रार्थी को आवंटन की गई थी । आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं किया जा रहा है । अतः अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।




(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा